दी सिरोही सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, सिरोही(राजस्थान)

भारतीय रिजर्व बैंक लाईसेंस संख्या ग्रा.आ.ऋ.वि.(जय).सह. 14 दिनांक 18.01.2012

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, बाईपास रोड, सीसीबी चौराहा, सिरोही, शाखा शिवगंज

प्रबंध निदेशक 02972– 222349 बैंक कार्यालय 02972– 221343 ई–मेल ccb.sirohi@gmail com

कमांक–एससीसीबी/अकृषि ऋण/2023–24/14353-369 दिनांकः– 01-08-2023

कार्यालय आदेश

श्रीमान् प्रशासक महोदय (बैंक) द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 07 दिनांक 01.08.2023 के निर्णयानुसार व्यक्तिगत ऋण योजना में निम्न प्रकार किये गये संसोधन को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है–

नियम संख्या	वर्तमान नियम/शर्ते	संशोधित नियम/शर्ते
1.	ऋण का उद्देश्य व्यक्तिगत ऋण योजनांतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत खर्च जैसे परिवार में विवाह समारोह, बीमारी, शिक्षण तथा यात्रा खर्च एवं घरेलू सामग्री कय करने / मकान में मरम्मत/परिवर्तन के लिये ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा।	**यथावत्**
2.	इस योजनांतर्गत पात्रता हेतु संबंधित ऋणी आवेदक का राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपकम, केन्द्र सरकार, बैंक, बीमा निगम, महाविद्यालय, राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, विद्युत निगम एवं वित्तीय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, निजी शिक्षण संस्थाओं/अनुदानित शिक्षण संस्थानों के स्थायी कर्मचारी होना आवश्यक होगा तथा वे सिरोही जिलें में कार्यरत हो। ऋण आवेदनकर्ता के दो जमानती होंगे। जमानती सिरोही जिलें का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा, जो संबंधित विभाग में कार्यरत हो।	इस योजनांतर्गत पात्रता हेतु संबंधित ऋणी आवेदक का राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के उपकम, केन्द्र सरकार, बैंक, बीमा निगम, महाविद्यालय, राज्य सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं, विद्युत निगम एवं वित्तीय/स्वायत्तशाषी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, निजी शिक्षण संस्थाओं/अनुदानित शिक्षण संस्थानों के स्थायी कर्मचारी होना आवश्यक होगा तथा वे सिरोही जिलें में कार्यरत हो। बैंक में कार्यरत डीडीएस एजेंट जिन्हे कार्य करते हुये 5 वर्ष या अधिक समय हो गया है। जिनका कार्य संतोषजनक हो समिति व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक जो स्कीनिंग के माध्यम से मुख्य कार्यकारी के पद पर चयनित है जो 5 वर्ष से कार्यरत हो उन्हे अधिकतम 5.00 लाख का ऋण स्वीकृत होगा। जिनके विरूद्ध ऑडिट में किसी प्रकार की वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितता का प्रकरण नहीं हो। ऋण आवेदनकर्ता के दो जमानती होंगे। जिसके एक जमानती सिरोही जिलें का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा, जो संबंधित विभाग में कार्यरत हो।
3.	सकल वेतन/आयः– सकल वेतन से अभिप्राय मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते से है, सकल वेतन में अन्य प्रकार के भत्ते सम्मिलित नहीं होंगे।	सकल वेतन/आयः– **यथावत्**
4(1)	24 माह तक ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक	**यथावत्**

	सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 6 गुणा।	
4(2)	36 माह तक ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 7 गुणा।	**यथावत्**
4(3)	48 माह तक ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 8 गुणा।	**यथावत्**
4(4)	60 माह में ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 09 गुणा।	60 माह में ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 12 गुणा।
4(5)	72 माह में ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 10 गुणा।	72 माह में ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 16 गुणा।
4(6)	96 माह में ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 12 गुणा।	96 माह में ऋण पुनर्भगतान की दशा में मासिक सकल वेतन (मूल वेतन+महंगाई भत्ता) का 20 गुणा।
	अधिकतम ऋण रूपये 10.00 लाख या जो भी कम हो रूपये 1000 के गुणन में ऋण स्वीकृत योग्य होगा। उक्त योजना में आवेदित ऋण की किश्त सहित कुल कटौति सकल वेतन की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	**यथावत्**
5.	ऋण भुगतान प्रकिया:– ऋण का भुगतान ऋण आवेदक के बचत खातें से किया जायेगा, जिसके लिये आवेदक का बचत खाता नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार बचत खाता खुलवाना होगा।	5. ऋण भुगतान प्रकिया:– **यथावत्**
6.	ऋण सुरक्षा:– (1) वेतनभोगी अधिकारी/कर्मचारी को अपने वेतन भुगतान अधिकारी से इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि मासिक ऋण किश्त वेतन से कटौति कर सीधे बैंक को भुगतान कर दी जावेगी। (2) वेतन भुगतान अधिकारी इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि ऋण प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का बचत खाता बैंक की संबंधित शाखा में खोला जावेगा तथा उसका वेतन सीधा इन खातों में जमा करने की व्यवस्था की जायेगी। ऋण अधिकारी/कर्मचारी किश्तों के भुगतान में एडवांस चैक बैंक शाखा में प्रस्तुत करेंगें। (3) सिरोही जिलें कें स्थायी निवासी की जमानत दिलवानी होगी जो संबंधित विभाग में स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो। कुल दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत दिलवानी होगी। वेतन भोगी की दशा में सेवानिवृति के एक वर्ष पूर्व तक की समयवधि तक ऋण किस्ते संकलित कर ऋण पुर्नभुगतान करना होगा।	6.ऋण सुरक्षा:– **यथावत्** **यथावत्** **यथावत्**
7.	(1) व्यक्तिगत ऋण योजना पर बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित ब्याज दर लागू रहेगी। (2) व्यक्तिगत ऋण योजना के अवधिपार ऋण पर बैक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दण्डनीय ब्याज दर लागू रहेगी।	**यथावत्** **यथावत्**

8.	8.ऋण का पुर्नभुगतानः– ऋण के पुनर्भगतान की अधिकतम अवधि 96 माह या सेवानिवृति के एक वर्ष के पूर्व माह तक जो भी कम होगा, निर्धारण किया जावेगा। ऋण मूल व ब्याज दोनों एक साथ वसूल किया जायेगा। ऋण पर मासिक ब्याज की गणना की जावेगी तथा वसूली मासिक रूप से (मूल एवं ब्याज मिलाकर) समान मासिक किश्तों में की जावेगी।	**यथावत्**
9.	ऋण पत्रावली प्रकिया शुल्कः– ऋण राशि का 1 प्रतिशत व जीएसटी एक बार में ऋण स्वीकृति के पश्चात् पत्रावली प्रकिया शुल्क वसूल किया जायेगा।	9.ऋण पत्रावली प्रकिया शुल्कः– **यथावत्**
10.	अन्य शर्तेः– (1) ऋण आवेदक को बैंक का सी क्लास (नोमिनल सदस्यता) सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होगा जिसमें रूपये 1000/– की स्थायी अमानत के रूप में (कम से कम ऋण अवधि तक) जमा करवाना होगा जो ऋण पूर्ण होने पर निर्धारित ब्याज सहित लौटाया जायेगा तथा रूपये 11/– नोमिनल सदस्यता शुल्क जमा करवाना होगा। (2) ऋण आवेदन प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होगेः– (अ) ऋण आवेदक का फोटो (ब) नियोक्ता वेतन से मासिक कटौति का सहमति पत्र (स) जमानती का विवरण पत्र मय वेतन पत्र एवं परिचय पत्र मय फोटो (द) ऋण आवेदक का वेतन प्रमाण पत्र (य) शपथ पत्र के लिये निर्धारित शुल्क के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि ऋण आवेदक के इस योजनांतर्गत अन्य बैंक से ऋण नहीं ले रखा है। (र) स्थायी निवास का पहचान पत्र (3) ऋण स्वीकृति पर निम्नलिखित दस्तावेज पूर्ण करने होगेः– (अ) मांग वचन पत्र (ब) ऋण इकरारनामा नियमानुसार शुल्क के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर। (स) इस बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंक के हस्ताक्षरयुक्त चैक अग्रिम रूप से बैक शाखा में ऋण वितरण से पूर्व प्रस्तुत करने होगे। जो ऋण किश्त समय पर नहीं चुकाने पर संबंधित बैंक में चैक लगाये जावेंगे एवं चैक अनादरण की स्थिति में एनआई एक्ट की धारा 138 में प्रकरण दर्जकर वसूली की जावेगी, जिसके हर्जे–खर्जे के लिए ऋणी जिम्मेदार होंगे । समय पर ऋण चुकता नही करने पर ऋण वसूली हेतु होने वाले समस्त व्यय यथा–समाचार पत्र में प्रकाशन/वसूली हेतु संबंधित	10. अन्य शर्तेः– **यथावत्** (2) (अ) से (र) तक **यथावत्** (3) (अ) एवं (ब) **यथावत्** **यथावत्**

	ऋणी के निवास स्थान पर नोटिस/आदेश (द) दो जमानतियों की जमानत नियमानुसार शुल्क के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाने होंगे। (4) इस बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये यह योजना लागू नहीं होगी क्योंकि उन्हें बैंक द्वारा व्यक्तिगत साख सीमा ऋण पूर्व से ही उपलब्ध करवाया जा रहा है।	**यथावत्** **यथावत्**

(नारायण सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

कमांक–एससीसीबी/अकृषि ऋण/2023–24/14353-369 दिनांकः–01-08-2023

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, दी सिरोही सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. सिरोही।
2. अधिषाशी अधिकारी, बैंक प्रधान कार्यालय, सिरोही।
3. वरिष्ठ प्रबन्धक/प्रबन्धक/नोडल अधिकारी (कृषि/अकृषि ऋण) बैंक प्रधान कार्यालय, सिरोही।
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक शाखा– समस्त को भेजकर लेख है कि उपरोक्त ऋण योजना अनुसार ऋण पत्रावली तैयार कर स्वीकृति हेतु बैंक प्रधान कार्यालय भेजे।
5. ऋण नियम पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक